मुख्यमंत्री ने राजस्थान हाउस पुनर्निर्माण का निरीक्षण किया

दिल्ली प्रवास में भजनलाल ने बीकानेर हाउस व उदयपुर हाउस के बारे में निर्देश दिये

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस और राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय-सीमा के साथ निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

नई दिल्ली/जयपुर, 19 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस और राजस्थान हाउस, जिसकी मरम्मत चल रही है, का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए, संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिये और जल्दी काम करने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि समय-सीमा के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भवन का अवलोकन करवाया। ज्ञातव्य है कि राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण 136 करोड़ रु. की लागत से हो रहा है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 7050 वर्ग मीटर में बन रहे राजस्थान हाउस के बारे में विस्तार से बताया। राजस्थान हाउस प्रदेश सरकार का एक राजकीय गेस्ट हाउस है। इसके पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जा रहा है। साथ ही, भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैण्ड स्टोन क्लेडिंग का कार्य किया जाएगा। राजस्थान हाउस में दो बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान रखा गया है। भवन के बेसमेंट में पार्किंग तथा मुख्य भवन में लॉबी, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फव्वारा, हैंगिंग झूमर, एट्रियम आदि बनाए जाएंगे। वहीं, प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय व जिम तथा छत पर टैरेस गार्डन, पार्टी हाल, योग कक्ष आदि की सुविधाएं मिलेंगी।

- **राजस्थान हाउस में दो बेसमेंट पार्किंग, भूतल तथा 6 मंजिल का निर्माण हो रहा है। भवन की छत पर टैरेस गार्डन, पार्टी हॉल, योग कक्ष भी बनेगा।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश की प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से सटे हुए इलाके राजपुर रोड पर स्थित उदयपुर हाउस का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों से उदयपुर हाउस में करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री गुरूवार को ही बीकानेर हाउस का दौरा करने भी गए और हाउस में स्थित राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को बीकानेर हाउस को कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

कुलगाम में सेना ने 5 आतंकी मारे

श्रीनगर, 19 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के वरिष्ठ कमांडर समेत पांच आतंकवादी मारे गये।

पुलिस ने बताया कि हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट उर्फ फारूक नाली कुलगाम के देसचेन येमरिच का निवासी था तथा वह जिले के कादर इलाके में हुई मुठभेड़ में अपने चार साथियों के साथ मारा गया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 40 वर्षीय फारूक नाली 2015 से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय था और कई हमलों में उसका हाथ था। वर्ष 2020 में श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर सैफुल्लाह की मौत के बाद नाली ने समूह की कमान संभाली थी।

- **इन 5 आतंकियों में से एक हिजबुल मुजाहिदीन का वरिष्ठ कमांडर फारुक अहमद भट उर्फ फारुक नाली है।**

सेना की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने दक्षिण कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नाली का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है।

'शाह का वीडियो हटाने के लिए ''एक्स'' पर दबाव डाल रही है भाजपा'

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में यह आरोप लगाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। गृह मंत्रालय और आई टी डिपार्टमैन्ट ने कथित रूप से, ''एक्स'' से कहा है कि वह अपनी साइट से अमित शाह के डॉ. अम्बेडकर से संबंधित उस वीडियो को हटा दे, जिसमें वे संविधान पर हुई दो दिन की बहस का जवाब दे रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में बताया कि उन्हें तथा कांग्रेस के कुछ अन्य सांसदों को ''एक्स'' से एक मेल मिला है, जिसमें कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते, वह इसे नहीं हटायेगा। श्रीनेत ने कहा, ''उन्होंने (एक्स) पारदर्शिता के हित में, हमें यह सूचना दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने राज्यसभा वैबसाइट से शाह का असंपादित भाषण सर्कुलेट किया। हिन्दी में दिय गये भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ''इस समय बार-बार अम्बेडकर का नाम लेने का फैशन है तथा उन्होंने अगर भगवान (का नाम) लिया होता तो वे सात जन्मों के लिये स्वर्ग चले गये होते।''

- **सुप्रिया ने बताया कि एक्स की तरफ से उन्हें व कुछ अन्य कांग्रेसी सांसदों को ई-मेल कर सूचित किया गया है कि भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह वीडियो नहीं हटाया जाएगा।**
- **सुप्रिया ने कहा, एक्स ने लिखा है कि पारदर्शिता के हित में उन्होंने हमें सूचना दी है।**
- **सुप्रिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस के सांसदों की वह फोटो एडिट की जिसमें उन्होंने अम्बेडकर की तस्वीर ले रखी है। भाजपा ने अम्बेडकर की जगह जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगाकर शेयर की है।**

श्रीनेत ने कहा कि इसमें कोई तोड़-मरोड़ या सम्पादन नहीं है। वास्तविकता यह है कि शाह ने डॉ. अम्बेडकर का अपमान किया है तथा उनके लिये बेहतर होगा कि वे देश से क्षमा याचना करें तथा इस्तीफा दे दें। भाजपा ने एक तस्वीर को एडिट किया, जिसमें हमारे सांसद बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने इसमें से अम्बेडकर की जगह जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी। उन्होंने रात के 10:45 बजे के आस-पास भाजपा के अधिकृत हैंडल से यह एडिट फोटो शेयर की।

उन्होंने कांग्रेस की माँग को दोहराया कि अमित शाह देश से माफी माँगें तथा इस्तीफा दे दें तथा भाजपा के शीर्ष नेताओं को चाहिये कि वे अम्बेडकर की तस्वीर को सोरोस की तस्वीर लगाने के लिये जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करें।

संसद के प्रवेश द्वार पर, कौन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रची है कि भैया ने किसी को धक्का दिया है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने खड़गे जी को धक्का दिया। वे जमीन पर गिर गए, फिर उन्होंने एक माकपा सांसद को धक्का दिया। वो खड़गे जी पर गिर पड़े। ऐसा लगा, खड़गे जी की टांग टूट गई है। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे तकलीफ में हैं। इसके बाद खड़गे (82 वर्ष) के लिए एक कुर्सी लाई गई।''

प्रियंका ने कहा, यह साजिश है। हम उन लोगों को चुनौती देते हैं जो हमें जय भीम बोलने से रोक रहे हैं। वे जय भीम का नारा क्यों नहीं लगा सकते?

प्रियंका ने भाजपा के इस दावे का खंडन किया कि इंडिया गठबंधन के सांसदों को संसद में प्रवेश का रास्ता दिया गया था, उन्होंने कहा, विपक्षी सांसदों को संसद में घुसने से रोका जा रहा था। इससे पूर्व प्रियंका ने एक्स पर हिंदी में लिखा कि भाजपा बार -बार बाबा साहेब का अपमान कर रही है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा और नागरिकों को बराबर अधिकार दिए, जिन्होंने करोड़ों दलितो और पीड़ितों का जीवन बदल दिया। उनका अपमान कर भाजपा ने करोड़ों दलितों व वंचितों का अपमान किया है, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।

भाजपा नेता को धक्का देने के आरोप का खंडन करते हुए राहुल ने कहा, यह सब कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ होगा, भाजपा सांसद हमें संसद में घुसने से रोक रहे थे।

इसी बीच, भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान व डॉ. अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए, विरोध प्रदर्शन किया।

अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने नारे लगाए, ''राहुल गांधी माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।''

राहुल ने कहा, ''यह आपके कैमरा में होगा, मैं संसद में जाने की कोशिश कर रहा था, भाजपा सांसदों ने मुझे रोका, धक्का दिया और धमकी दी, इसलिए यह हुआ। हां यह हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया। पर हम इस सबसे डरते नहीं हैं, हमें अंदर जाने का अधिकार है, वो हमें रोक रहे थे। मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर हमला कर रहे है और अम्बेडकर जी की स्मृतियों का अपमान कर रहे हैं।''

खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा कि भाजपा सांसदों ने उन पर हमला किया, उन्हें धक्का दिया। उन्होंने घटना की जांच करने का आदेश देने की मांग की।

प.बंगाल में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश

कोलकाता, 19 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ कर पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि संदिग्धों ने कथित तौर पर ग्राहकों, दो-पांच लाख रुपये के बीच पासपोर्ट बेचे। इस मामले में दक्षिणी कोलकाता के परनानिवासी दीपांकर दास नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर बंगलादेश से आए घुसपैठियों को 73 फर्जी पासपोर्ट जारी किए थे। उनके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कंप्यूटर, विभिन्न पीएसयू बैंकों की मुहरें और 36 भारतीय पासपोर्ट, शेंगेन और ब्रिटेन वीजा की फोटोकॉपी भी जब्त की।

इससे पहले, शहर की पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले, गिरोह सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप में पंचसायर उप-डाकघर के एक डाकिया सहित तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जो खास तौर पर बंगलादेशी नागरिकों के लिए वीजा देने का प्रबंध करते थे। जांच के दौरान, कोलकाता पुलिस के सुरक्षा नियंत्रण संगठन के एक पुलिसकर्मी की ओर से की गई शिकायत के बाद, भवानीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया और पाया गया कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किए गए थे।जांच के दौरान, पंचसायर उप-डाकघर से कुछ डिलीवरी शीट जब्त की गई। यह भी पता चला कि पासपोर्ट सेवा केन्द्र बशीरहाट डाकघर से 37 पासपोर्ट आवेदन तैयार किए गए थे। इस मामले में, बारासात के फॉर्च्यून सिटी के डाकिया रिपन बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद, पुलिस ने 14 दिसंबर को दीपक मंडल और रिपन के पिता समरेश बिस्वास के रूप में पहचाने जाने वाले पंचसायर डाकघर के एक डाकिया को गिरफ्तार किया।

- **पुलिस ने पांच संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया।**

दस साल में पहली बार रिलायंस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, जिसमें आर.आई.एल. भी शामिल है।

रिलायंस का ''ऑयल-टु-कैमिकल्स'' (ओ. 2 सी.) बिज़नैस जो राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, क्रूड ग्लोबल डिमांड में कमी तथा क्रूर ऑयल के घटते-बढ़ते दामों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

पूर्व में रिलायंस रिटेल और जिओ प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण विकास इंजन रहे हैं। तथापि, टैलिकॉम सैक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा ने जियो के, ए.आर.पी.यू. (एवरेज रैवेन्यु पर यूज़र) पर दबाव डाला है। यह रिटेल खंड, परिचालन की ऊँची लागत तथा एक्सपैन्शन की, अपेक्षा से धीमी गति से जूझ रहा है।

क्लीन एनर्जी, रिटेल एक्सपैन्शन तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिलायंस के महत्वपूर्ण निवेश के कारण कंपनी के ऋण स्तर को बढ़ा दिया है। जबकि, ये दीर्घकालिक दांव हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को लेकर चिंता ने निवेशक के विश्वास को कम कर दिया है।

- **रिलायंस इण्डस्ट्रीज ने क्लीन एनर्जी, रिटेल एक्सपैंशन तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़िकरण पर भारी पैसा खर्च किया है, हो सकता है इस इन्वैस्टमैंट से दीर्घकाल में लाभ हो जाए, पर शॉर्ट टर्म में इन इन्वैस्टमैंट से पूंजी निवेशकों का विश्वास डिगा है तथा शेयर प्राईज़ गिरी हैं।**

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तिमाही परिणामों में कुछ सैगमैंट्स में ग्रोथ कम हुई हैं, जिसके कारण यह चिंता बढ़ गई है कि क्या कंपनी अपनी ऐतिहासिक हाई ग्रोथ को जारी रख पाएगी।

इसके अलावा जिओ फाइनैंशियल सर्विसेज के प्रस्तावित डीमर्ज़र ने बाज़ार में अस्थायी रूप से अनिश्चितता पैदा कर दी है। साथ ही डीमर्ज़र के बाद कंपनी के शेयरों पर भी दबाव नज़र आया क्यों फंड का पुन: आवंटन हुआ है।

इसके अलावा कई सालों की सतत ग्रोथ के कारण हालांकि कुछ निवेशकों को मुनाफा हो सकता है, पर इससे शेयरों के दाम गिरे हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों को भी प्रमुख बाज़ारों के कड़े होते नियमों की वजह से नुकसान हुआ है और भू राजनैतिक अनिश्चितताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है।

हालांकि रिलायंस का फोकस भविष्य के ग्रोथ सैक्टर्स जैसे हरित ऊर्जा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि पर है, जिससे इसे दीर्घकालिक लाभ होगा। लेकिन फिलहाल इन निवेशों से वित्तीय प्रदर्शन पर दबाव पड़ रहा है।

भाजपा युवा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोशिश कर रही है, क्योंकि वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती।

भाजपा राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर रही है, क्योंकि उसके एक सांसद गिर गये तथा उनके चोट आई और वे अस्पताल में भर्ती हो गये।

भाजपा युवा मोर्चा ने इन्दौर, पटना तथा मुम्बई में कांग्रेस का र्यालयों पर हमले किये हैं।

भाजपा और कांग्रेस के सम्बंधों का रुप एकदम बिगड़ गया है। इनकी आपसी कटुता अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच चुकी है तथा देखना यह है कि यह स्थिति कितनी आगे तक जायेगी तथा कहाँ जाकर समाप्त होगी।

'एक राष्ट्र,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनैतिक समीकरणों के चलते उन्हें मंत्री बनाया जाना संभव नहीं हो सका था।

इस समय, भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास लोकसभा एवं राज्यसभा- दोनों में से किसी भी सदन में दो-तिहाई बहुमत नहीं है, जिससे ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' का संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सके।

जे.पी.सी. में शामिल किये जाने के लिये, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आगे बढ़ा दिया है।

चूँकि वे अभी-अभी लोकसभा सांसद बनी हैं, इसलिये यह पहली कमेटी होगी, जिसकी वे सदस्य होंगी।

संघ से जुड़े यादव को जज बनाने पर आपत्ति की थी डी.वाय. चंद्रचूड़ ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव, जिन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ अपने विवादास्पद बयानों तथा समान नागरिक संहिता के समर्थन में उत्तेजना से काम लिया था, न्यायाधीश ही नहीं बने होते, अगर सर्वोच्च न्यायालय की कोलीजियम ने अपने ही व्यक्तियों में से एक, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ के शब्दों पर ध्यान दिया होता।

सर्वोच्च न्यायालय की तत्कालीन कोलीजियम, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी तथा एस.ए. बोबड़े शामिल थे, ने 12 फरवरी 2019 की मीटिंग में डी. वाय. चन्द्रचूड़ की आपत्ति की उपेक्षा करते हुये, नियुक्ति के लिये 9 अन्य लोगों के साथ यादव के नाम की भी सिफारिश कर दी थी तथा सरकार ने नियुक्तियों की मंजूरी दे दी थी।

- **रंजन गोगोई जब सी.जे.आई. थे, तब कोलीजियम में डी.वाय. चंद्रचूड़ सदस्य थे, उन्होंने यादव को हाई कोर्ट का जज बनाने पर आपत्ति की थी, जिसे अनदेखा कर दिया गया।**
- **सी.जे.आई. गोगोई को लिखे अपने पत्र में चंद्रचूड़ ने बताया था कि यादव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव है, वे हाई कोर्ट का जज बनाए जाने योग्य नहीं हैं।**

यादव 22 दिसम्बर, 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये गये तथा 26 मार्च, 2021 को स्थाई न्यायाधीश बना दिये गये।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को 13 अगस्त, 2018 को लिखे पत्र में, न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा था कि यादव को अपर्याप्त कार्यानुभव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भाजपा का सैद्धांतिक पितृस्वरुप है, के साथ उनका जुड़ाव है, तथा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक (तत्कालीन) राज्यसभा सदस्य, जो इस समय केन्द्रीय मंत्री हैं, के साथ उनकी निकटता है। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने जोर देते हुये कहा था कि ''वे (यादव) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है।''

8 दिसम्बर, 2024, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर में विश्व हिन्दू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक समारोह में बोलते हुये, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने खुले आम मुस्लिमों को निशाना बनाया था तथा समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। उनके विवादास्पद बयानों को लेकर बड़े पैमाने पर हुये हंगामे के बाद, 55 राज्यसभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, को पत्र लिखकर उक्त न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरु करने की माँग की थी।

सभापति ने अभी तक, ''द्वेषपूर्ण भाषण'' तथा साम्प्रदायिक असामंजस्य उभारने'' के लिये जज पर महाभियोग की कार्यवाही करने के उक्त अनुरोध पर कोई निर्णय नही लिया है। विपक्षी सांसदों ने जज पर, विहिप के समारोह में अपने भाषण के जरिये, ''अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने तथा उनके खिलाफ पूर्वाग्रह तथा द्वेष प्रदर्शित करने'' का आरोप भी लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की गणना का आदेश दिया

जस्टिस ए.एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बैंच ने कहा, कानून पेड़ों की रक्षा के लिए है, काटने के लिए नहीं

नई दिल्ली, 19 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पेड़ों की गणना की जाएगी और 50 या उससे अधिक पेड़ों को काटने के किसी भी अनुरोध को केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) मंजूरी देगी।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण से कहा कि वह गणना के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) और विशेषज्ञों की सहायता ले।

पीठ ने कहा कि पेड़ हमारे पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एहतियाती सिद्धांत के तहत सरकार को पर्यावरण नुकसान के कारणों का अनुमान लगाना, उन्हें रोकना और उनका उन्मूलन करना चाहिए, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शामिल है।

- **पेड़ों की गणना के कार्य में सहायता के लिए तीन विशेषज्ञों की टीम भी गठित की गई है।**

कोर्ट ने कहा कि ट्री अफसर द्वारा 50 या उससे अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दिए जाने के बाद सीईसी द्वारा मंजूरी दिए जाने तक, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पेड़ों की गणना तीन विशेषज्ञों - सेवानिवृत्त आईएमएस अधिकारी ईश्वर सिंह और सुनील लिमये के अलावा, पेड़ विशेषज्ञ प्रदीप सिंह की सहायता से की जाएगी।

पीठ ने सीईसी को निर्देश दिया कि वह पेड़ों की कटाई के दस्तावेजों पर विचार करे और तय करे कि अनुमति दी जाए या किसी संशोधन की जरुरत है। दस्तावेज प्राप्त होने पर, सीईसी वृक्ष अधिकारी को अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बुला सकता है। सीईसी आवेदन और अन्य सभी पहलुओं पर विचार करेगा और तय करेगा कि अनुमति दी जानी चाहिए या कुछ नियमों और शर्तों के साथ दी जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि 50 या अधिक पेड़ों को गिराने की अनुमति देते समय, जब तक कि कोई अपवाद न हो, पेड़ लगाने की शर्त लगाई जानी चाहिए। अन्यथा, कटाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दरअसल, अदालत ने 18 दिसंबर को कहा था कि पेड़ों पर कानून उन्हें बचाने के लिए हैं, न कि उन्हें काटने के लिए। बैंच ने उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने के आदेश पारित करने का संकेत दिया। यह मुद्दा 1985 में दायर पर्यावरणविद् एमसी मेहता की जनहित याचिका से उत्पन्न हुआ है।

'समलैंगिक जोड़े साथ रह सकते हैं'

हैदराबाद, 19 दिसंबर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक समलैंगिक जोड़े के साथ रहने के अधिकार को बरकरार रखा है और अपना साथी चुनने की उनकी स्वतंत्रता पर मुहर लगाई है। जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस के महेश्वर राव की बेंच कविता (बदला हुआ नाम) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कविता ने आरोप लगाया है कि उसकी साथी ललिता (बदला हुआ नाम) को उसके पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लिया हुआ है और उसे नरसीपटनम स्थित अपने आवास पर रखा है। बेंच ने मंगलवार को ललिता के माता-पिता को कपल के रिश्ते में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया।

- **आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में माता-पिता को हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा। कोर्ट ने विजयवाड़ा के एक समलैंगिक ''कपल'' की याचिका पर यह फैसला सुनाया।**

यू.पी. और हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण यह आदेश दिया है

नई दिल्ली, 19 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (19 दिसंबर) को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''इसका असर तभी पड़ेगा, जब एनसीआर के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो। इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें।'' अब इस मामले में 15 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

पटाखों पर बैन लगाने के मामले में एमिकस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए एनसीआर राज्यों पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट फरासत ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस उपाय के प्रभावी होने के लिए, पड़ोसी एनसीआर राज्यों को इसी तरह के प्रतिबंधों को अपनाना चाहिए, क्योंकि पटाखे अभी भी उन राज्यों से दिल्ली में लाए जा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली की तर्ज पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी और अगले आदेश तक पटाखों पर रोक जारी रहेगी।**

दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने सभी राज्यों और एनसीआर क्षेत्र को निर्देश दिया है कि वे ग्रैप -4 से प्रभावित सभी श्रमिकों को गुजारा भत्ता दें। राज्य सरकारें पता लगाएं कि कौन से श्रमिक ग्रैप -4 से प्रभावित हैं। श्रमिकों को भत्ता देने के लिए सिर्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।

अगर श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में जारी अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो हम राज्य सरकारों के खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे। अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकारों से 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908